

स्पष्टीकरण

1. अनुसूची के कॉलम-2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (व्ही.डी.ए.) जुलाई 2016 से दिसम्बर 2016 में औसत अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक (जिले इसमें इसके पश्चात् सूचकांक कहा जायेगा) 1285 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रति बिन्दु सम्मुख अंकित किये गए अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये रुपये 1.25 पैसे प्रति बिन्दु प्रतिमाह की दर से संदेह होगा. जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जनवरी से जून तथा जुलाई से दिसम्बर जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी. इस प्रकार से संगणित परिवर्तनशील महंगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा. उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित किया जावेगा.
2. अधिसूचना न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है.
3. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहां मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है, वहां यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो तो, मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गये अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक सम्मिलित होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. शंगीता, विशेष सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2018

क्रमांक एफ 7-29/2012/12.—खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 सहपठित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 49 के उप-नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त नियम में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“अनुसूची-तीन
(नियम 49 देखिए)

स्वामित्व की दरें

स. क्र.	खनिज	दरें
(1)	(2)	(3)
1.	आकारीय पत्थर—ग्रेनाइट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय, परतदार तथा परिवर्तित चट्टाने, जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार में ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है :—	—
	(क) काला रंग	रुपये 2000 प्रति घनमीटर
	(ख) अन्य रंग	रुपये 750 प्रति घनमीटर

(1)	(2)	(3)
2.	संगमरमर, जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है.	रुपये 850 प्रति घनमीटर
3.	अन्य प्रयोजन के लिये प्रयुक्त संगमरमर पत्थर	रुपये 400 प्रति घनमीटर
4.	फ्लेगस्टोन-प्राकृतिक परतदार पत्थर, जिसका उपयोग फर्श, छत आदि के लिये किया जाता है.	रुपये 120 प्रति घनमीटर
5.	साधारण रेत, बजरी	रुपये 50 प्रति घनमीटर
6.	मुरूम	रुपये 50 प्रति घनमीटर
7.	पत्थर (क) बोल्टडर (ख) गिट्टी, रोड मेटल (ग) परिष्कृत पत्थर, खण्डा, ढोका	रुपये 130 प्रति घनमीटर
8.	साधारण मिट्टी : ईट, बर्तन एवं कवेलू बनाने के लिए/निर्माण कार्य में व्यवसायिक उपयोग के लिए मिट्टी.	रुपये 50 प्रति घनमीटर
9.	(क) डोलोमाइट (उद्योगों में उपयोग हेतु) (ख) डोलोमाइट (सड़क एवं भवन निर्माण)	रुपये 90 प्रतिटन
10.	कोरण्डम	विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत
11.	सोपस्टोन	विक्रय मूल्य का 20 प्रतिशत
12.	फायरक्ले/चाईना क्ले/अन्य क्ले	विक्रय कूल्य का 15 प्रतिशत
13.	ऑकर	रुपये 30 प्रति टन
14.	लैटेराइट : धातुकर्म में उपयोग/अन्य उपयोग में	रुपये 60 प्रति टन
15.	क्वार्ट्ज	रुपये 90 प्रति टन
16.	क्वार्ट्जाइट	रुपये 140 प्रति टन
17.	सिलिका सेण्ड/अन्य बालू	रुपये 75 प्रति घनमीटर
18.	अन्य गौण खनिज	रुपये 60 प्रति घनमीटर

2. अनुसूची-चार में, सरल क्रमांक 6 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“6 क	अनुसूची-एक के भाग-ख में विनिर्दिष्ट खनिजों.	निरंक	5,000	7,500”
------	---	-------	-------	--------

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफफत आरा, उप-सचिव.

टीप :- छत्तीसगढ़ गौणखनिज नियम, 2015 को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27-03-2015 में प्रकाशित किया गया था, जिसके हिन्दी पाठ में शुद्धिपत्र दिनांक 30-01-2016 जारी किया गया. अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 23-03-2016, 13-02-2017 तथा 12-04-2017 द्वारा संशोधित किया गया. मूल नियम को अंतिम बार अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 26-10-2017 द्वारा संशोधित किया गया.

नया रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2018

क्रमांक एफ 7-29/2012/12.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 7-29/2012/12, दिनांक 5 मार्च 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 5th March 2018

No. F-7-29/2012/12.— In Exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) read with sub-rule (5) of rule 49 of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the said rules with effect from 1st April, 2018, namely: i; s

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. For Schedule-III, the following shall be substituted, namely: i; s

“SCHEDULE-III
(See Rule 49)

Rates of Royalty

S. No. (1)	Mineral (2)	Rates (3)
1.	Dimensional Stone-Granite, dolerite, and other igneous, sedimentary and metamorphic rocks which are used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension.	
	(a) Black colour	Rs. 2000 per cubic metre
	(b) Other colour	Rs. 750 per cubic metre
2.	Marble, used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension.	Rs. 850 per cubic metre
3.	Marble stone used for other purposes	Rs. 400 per cubic metre
4.	Flagstone-natural sedimentary rock which is used for flooring, roof top etc.	Rs. 120 per cubic metre
5.	Ordinary Sand, bajri	Rs. 50 per cubic metre
6.	Murum	Rs. 50 per cubic metre
7.	Stone	Rs. 130 per cubic metre
	(a) Boulder	
	(b) Gitti, rodmetal	
	(c) Dressed Stone, Khanda, Dhoka	
8.	Ordinary Soil; Soil for making bricks, pots and tiles/soil for commercial used in construction works.	Rs. 50 per cubic metre

(1)	(2)	(3)
9.	(a) Dolomite (industrial use) (b) Dolomite (Road and building construction)	Rs. 90 per tonne
10.	corundum	15 percent of sale price
11.	Soapstone	20 percent of sale price
12.	Fire Clay/China Clay/Other Clay	15 percent of sale price
13.	Ochre	Rs. 30 per tonne
14.	Laterite : Metallurgical use/Other use	Rs. 60 per tonne
15.	Quartz	Rs. 90 per tonne
16.	Quartzite	Rs. 140 per tonne
17.	Silica sand and other sand	Rs. 75 per cubic metre
18.	Other Minor Minerals	Rs. 60 per cubic metre”

2. In Schedule-IV, after Serial No. 6, the following shall be inserted, namely, :i;s

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“6A	Minerals specified in Part B of Schedule I	Nil	5,000	7,500”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EFFAT ARA, Deputy Secretary.

Note :— The Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015, were notified in the Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan) dated 27-3-2015, corrigendum dated 30.01.2016 issued for Hindi part of it. The Rules were further amended vide notification number F 6-42/2012/12, dated 23.3.2016, 13.2.2017 and dated 12.4.2017. The principal rules were lastly amended vide notification number F 6-42/2012/12, dated 26.10.2017.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2018

क्रमांक एफ 5-01/आठ-परि./2018.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 68 की उप धारा (5) सहपठित धारा 96 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, कि जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.